



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062021-227767
CG-DL-E-22062021-227767

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341]
No. 341]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ़ 1, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ASHADHA 1, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2021

सा.का.नि. 425 (अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में, हुट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड, कर्नाटक को उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है:

परंतु हुट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड राज्य सरकार को, उसके द्वारा की गई पूर्वोक्त संक्रियाओं के संबंध में उसके द्वारा सृजित डाटा सौंपेगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 16/30/2017-एम.6]

डॉ वीना कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2021

G.S.R. 425 (E).— In pursuance of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby notifies the Hutti Gold Mines Company Limited, Karnataka for the purposes of the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the said Act:

Provided that the Hutti Gold Mines Company Limited shall make over the data generated by it, in respect of the prospecting operations undertaken by it, to the concerned State Government.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 16/30/2017 -M.VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL , Jt. Secy.